Class - IV
Field

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अगस्त, 1998

संख्या सा०का०नि० 43/संवि०/अनु० 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग 1—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषायें :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से, पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा ;

(ग) "निदेशक मलेरिया" से अभिप्राय है, निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें (मलेरिया) अनुभाग तथा इसमें सम्मिलित है जिले का सिविल सर्जन/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/लोक विश्लेषक/राजकीय विश्लेषक/प्रधानाचार्य राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परीक्षक केन्द्र/राज्य जीवाणु विज्ञानी/रसायनिक परीक्षक ;

(घ) "उप-निदेशक (मलेरिया)" से अभिप्राय है, उप-निदेशक, स्वास्थ्य व सेवायें (मलेरिया) अनुभाग तथा इसमें सम्मिलित है जिला चिकित्सा अधिकारी/प्रवर चिकित्सा अधिकारी/उप-लोक विश्लेषक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/सहायक रसायनिक परीक्षण ;

(ङ) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में रोजगार कार्यालय ;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू किसी विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा ।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये, पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो ;

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका अथवा कीनिया, युगांडा के संयुक्त गणराज्य तन्जानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है ; किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो, उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह रोजगार कार्यालय द्वारा नाम परियोजित करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले 17 वर्ष से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, मलेरिया द्वारा दी जायेंगी।

योग्यतायें।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लेखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यतायें :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर, लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती की ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) मुख्य रसोइया की दशा में,—

(i) रसोइया में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) धोबी, प्रैसमैन, कलासी, कुक, लैब अटैंडेंट, आया, माली, स्वास्थ्य सहायक, क्लीनर, चौकीदार, वार्ड सर्वेन्ट, स्वीपर एक्वेयर, बियरर, बियरर, कुक बियरर, भिस्ती, स्वीपर एवं चौकीदार, ड्रैसर, सेवादार, आप्रेशन थीयेटर अटैंडेंट, मशालची, वार्ड बाय, फील्ड वर्कर, नर्सिंग अर्दली, वाटर कैरियर, कुकमेट, सेवादार एवं चौकीदार, हैल्पर, नर्स बाय की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित किया गया न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियां का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु :—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि को पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो तो पुष्टि किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी अन्य व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ;—

(क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थाई रिक्ति होने पर की तिथि से पुष्ट कर सकता है ;

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो —उसे उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता सेवा के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले ही नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में से उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्यों से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर ऐसा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को, सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है;—

(क) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम अथवा विश्वविद्यालय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(ग) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेन्शन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेन्शन, तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में बताया गया हो ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, तो टीका लगवायेगा और पुन: टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. पंजाब चिकित्सा विभाग अधीनस्थ पद (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	हैड कुक	—	3	3	800–15–1010–द० रो०–20–1150
2	धोबी	50	76	126	775–12–870–द० रो०–14–1025
3	प्रैसमैन	—	4	4	775–12–870–द० रो०–14–1025
4	खलासी	6	—	6	775–12–870–द० रो०–14–1025
5	कुक	30	63	93	775–12–870–द० रो०–14–1025
6	लैब अटैंडैंट	38	100	138	750–12–870–द० रो०–14–940
7	आया	—	27	27	750–12–870–द० रो०–14–940
8	माली	17	20	37	750–12–870–द० रो०–14–940
9	स्वास्थ्य सहायक	200	90	290	750–12–870–द० रो०–14–940
10	क्लीनर	—	34	34	750–12–870 द० रो०–14–940
11	चौकीदार	100	74	174	750–12–870 द० रो०–14–940
12	वार्ड सर्वेन्ट	800	437	1237	750–12–870 द० रो०–14–940
13	स्वीपर	700	390	1090	750–12–870 द० रो०–14–940
14	स्ट्रेचर बियरर	—	18	18	750–12–870 द० रो०–14–940
15	बीयरर	—	4	4	750–12–870 द० रो०–14–940

1	2	3	4	5	6
16	कुक बियरर	—	7	7	750–12–870 द० रो०–14–940
17	भिश्ती	1	—	1	750–12–870 द० रो०–14–940
18	स्वीपर एवं चोकीदार	1	—	1	750–12–870 द० रो०–14–940
19	ड्रैसर	20	23	43	750–12–870 द० रो०–14–940
20	सेवादार	400	615	1015	750–12–870 द० रो०–14–940
21	आप्रेशन थियेटर अटैंडैन्ट	—	7	7	750–12–870 द० रो०–14–940
22	मशालची	4	—	4	750–12–870 द० रो०–14–940
23	वार्ड ब्वाय	40	10	50	750–12–870 द० रो०–14–940
24	फिल्ड वर्कर	200	89	289	750–1–870 द० रो०–14–940
25	नर्सिंग अर्दली	3	—	3	750–12–870 द० रो०–14–940
26	वाटर कैरियर	—	15	15	750–12–870 द० रो०–14–940
27	कुकमैट	5	5	10	750–12–870 द० रो०–14–940
28	सेवादार एवं चौकीदार	1	1	2	750–12–870 द० रो०–14–940
29	हैल्पर	—	4	4	750–12–870 द० रो०–14–940
30	नर्स बाय	—	1	1	750–12–870 द० रो०–14–940

10

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा की दशा में शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	हैडकुक	(क) कुक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (ख) आठवीं पास	(क) कुक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (ख) आठवीं पास
2	धोबी	आठवीं पास	आठवीं पास
3	प्रैसमैन	आठवीं पास	आठवीं पास
4	खलासी	आठवीं पास	आठवीं पास
5	कुक	आठवीं पास	आठवीं पास
6	लैब अटैंडेंट	आठवीं पास	आठवीं पास
7	आया	आठवीं पास	आठवीं पास
8	माली	(क) पांचवीं पास (ख) बागवानी का ज्ञान	(क) पांचवीं पास (ख) बागवानी का ज्ञान
9	स्वास्थ्य सहायक	पाचवीं पास	पांचवीं पास
10	क्लीनर	पांचवी पास	पांचवीं पास
11	चौकीदार	आठवीं पास	आठवीं पास
12	वार्ड सर्वेन्ट	आठवीं पास	आठवीं पास

1	2	3	4
13	स्वीपर	हिन्दी पढ़ना व लिखना जानता हो	हिन्दी पढ़ना तथा लिखना जानता हो
14	स्ट्रैचर बियरर	पांचवीं पास	पांचवी पास
15	बियरर	पांचवी पास	पांचवी पास
16	कुक बियरर	आठवीं पास	आठवीं पास
17	भिस्ती	पांचवी पास	पांचवी पास
18	स्वीपर एवं चौकीदार	हिन्दी पढ़ना व लिखना जानता हो	हिन्दी पढ़ना तथा लिखना जानता हो
19	ड्रैसर	आठवीं पास	आठवीं पास
20	सेवादार	आठवीं पास	आठवीं पास
21	आप्रेशन थियेटर अटेंडेन्ट	आठवीं पास	आठवीं पास
22	मशालची	पांचवी पास	पांचवी पास
23	वार्ड बाय	आठवीं पास	आठवीं पास
24	फिल्ड वर्कर	आठवीं पास	आठवीं पास
25	नर्सिंग अर्दली	आठवीं पास	आठवीं पास
26	वाटर कैरियर	पांचवी पास	पांचवी पास
27	कुकमेट	आठवीं पास	आठवीं पास
28	सेवादार एवं चौकीदार	आठवीं पास	आठवीं पास
29	हैल्पर	आठवीं पास	आठवीं पास

12

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सक्षम	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
			1. छोटी शास्तियां			
1	हैडकुक	निदेशक मलेरिया	(i) वैयक्तिक फाईल ; (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ; (ii) परिनिंदा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या राज्य ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल	उप-निदेशक मलेरिया	निदेशक मलेरिया	महानिदेशक
2	धोबी					
3	प्रेसमैन					
4	खलासी					
5	कुक					
6	लैब अटेंडेंट					
7	आया					
8	माली					
9	स्वास्थ्य सहायक					
10	क्लीनर					

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	हैडकुक	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	उप-निदेशक मलेरिया	महानिदेशक	सरकार
2	धोबी	(ii) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
3	प्रैसमैन				
4	बलारी				
5	कुक				
6	लैब अटैंडैन्ट				
7	आया				
8	माली				
9	स्वास्थ्य सहायक				
10	क्लीनर				
11	चौकीदार				
12	वार्ड सर्वेन्ट				
13	स्वीपर				

1	2	3	4	5	6
14	स्ट्रैचर बियरर				
15	बियरर				
16	कुक बियरर				
17	भिस्ती				
18	स्वीपर एवं चौकीदार				
19	ड्रैसर				
20	सेवादार				
21	आप्रेशन थियेटर अटेण्डेण्ट				
22	मशालची				
23	वार्ड बाय				
24	फिल्ड वर्कर				
25	नर्सिंग अर्दली				
26	वाटर कैरियर				
27	कुकमेट				
28	सेवादार एवं चौकीदार				
29	हैल्पर				
30	नर्स बाय				

वीना ईश्वरन,
वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 16th August, 1998

No. G.S.R.43/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Health Department Subordinate Offices (Group D) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short Title and commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Health Department Subordinate Offices (Group D) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions :

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service, or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(b) "Director General" means the Director General Health Services, Haryana ;

(c) "Director Malaria" means Director Health Services Malaria Wing and includes Civil Surgeon of the district/ Principal, Medical Officer/Public Analyst/Govt. Analyst/ Principal, State Health and Family Welfare Training Centre/State Bacteriologist/Chemical Examiner ;

(d) "Deputy Director (Malaria)" means Deputy Director Health Services, Malaria Wing and includes District Medical Officer/Senior Medical Officer/Deputy Public Analyst/Senior Scientific Officer/Medical Officer/ Assistant Chemical Examiner ;

(e) "Employment Exchange" means Employment Exchange in the State of Haryana

(f) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(g) "Institution" means—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(h) "Service" means the Haryana Health Department Subordinate Offices (Group D) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts;

3. The service shall comprise the posts shown in appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such post or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service;

Annexure-B Typr

4. (1) No person shall be appointed to any post in Service, unless he is.—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Ugnda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview, conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed go any post in Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be, appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age on or before the last date of sponsoring the names by the Employment Exchange.

Appointing Authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Director Malaria.

Qualifications:

7. No persons shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 4 of aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment.

Disqualifications :

8. No persons,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. (1) Recruitment to the service shall be made,—

(a) in case of Head Cook—

(i) by promotion from amongst cooks ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(b) in case of Dhobi, Pressman, Khalasi, Cook, Lab. Attendant, Ayya, Mali, Swasth Sahayak, Cleaner, Chowkidar, Ward Servant, Sweeper, Stretcher Bearer, Bearer, Cook Bearer, Bisti, Sweeper-cum-Chowkidar, Dresser, Peon, Operation Theatre Attendant, Masalchi, Ward Boy, Field Worker, Nursing Orderly, Water Carrier, Cook Mate, Peon-cum-Chowkidar, Helper, Nurse Boy,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation :

10. (1) Persons appointd to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no persons who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satsifactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, has not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre ;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority sholl not be disturbed in fixing the seniotity :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follow:—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or out-side the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government ; or

(iii) any other state Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave pension and other matters :

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any, law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law

or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules

Vaccination :

15 Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established

Power of relaxation :

17 Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any Class or category of persons.

Special Provisions :

18 Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes/Other Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and savings :

20. The Punjab Medical Department Subordinate Posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, in their application to the State of Haryana are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Serial Number	Designation of posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Head Cook		3	3	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150.
2	Dhobi	50	76	126	Rs. 775—12—870—EB—14—1025
3	Pressman	—	4	4	Rs. 775—12—870—EB—14—1025
4	Khalasi	6	—	6	Rs. 775—12—870—EB—14—1025
5	Cook	30	63	93	Rs. 775—12—870—EB—14—1025
6	Lab Attendant	—	27	27	Rs. 750—12—870—EB—14—940
7	Aaya	17	20	37	Rs. 750—12—870—EB—14—940
8	Mali	38	100	138	Rs. 750—12—870—EB—14—940
9	Swasth Sahayak	200	90	290	Rs. 750—12—870—EB—14—940
10	Cleaner	—	34	34	Rs. 750—12—870—EB—14—970
11	Chowkidar	100	74	174	Rs. 750—12—870—EB—14—940
12	Ward Servant	800	437	1237	Rs. 750—12—870—EB—14—940
13	Sweeper	700	390	1090	Rs. 750—12—870—EB—14—940
14	Stretcher Bearer	—	18	18	Rs. 750—12—870—EB—14—940
15	Bearer	—	4	4	Rs. 750—12—870—EB—14—940
16	Cook Bearer	—	7	7	Rs. 750—12—870—EB—14—940
17	Bisti	1	—	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940
18	Sweeper-cum-Chowkidar	1	—	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940
19	Dresser	20	23	43	Rs. 750—12—870—EB—14—940
20	Peon	400	615	1015	Rs. 750—12—870—EB—14—940
21	Operation Theatre Attendant	—	7	7	Rs. 750—12—870—EB—14—940

1	2	3	4	5	6
22	Masalchi	4	—	4	Rs. 750—12—870—EB—14—940
23	Ward Boy	40	10	50	Rs. 750—12—870—EB—14—940
24	Field Worker	200	89	289	Rs. 750—12—870—EB—14—940
25	Nuring Aurderly	3	—	3	Rs. 750—12—870—EB—14—940
26	Water Carrier	—	15	15	Rs. 750—12—870—EB—14—940
27	Cook Mate	5	5	10	Rs. 750—12—870—EB—14—940
28	Peon-cum-Chowkidar	1	—	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940
29	Helper	—	4	4	Rs. 750—12—870—EB—14—940
30	Nurse Boy	—	1	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940

20

APPENDIX B

(*See* rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Head Cook	(a) Five years experience as Cook ; (b) Middle Pass	(a) Five years experience as Cook ; (b) Middle Pass
2	Dhobi	Middle pass	Middle pass
3	Pressman	Middle pass	Middle plass
4	Khalasi	Middle pass	Middle pass
5	Cook	Middle pass	Middle pass
6	Lab Attendant	Middle pass	Middle pass
7	Aaya	Middle pass	Middle pass
8	Mali	(a) 5th pass (b) Knowledge of gardning ;	a) 5th pass b) Knowledge of gardning
9	Swasth Sahayak	5th pass	5th Pass
10	Cleaner	5th pass	5th pass
11	Chowkidar	Middle pass	Middle pass
12	Ward Servant	Middle pass	Middle pass
13	Sweeper	Can read and write Hindi	Can read and write Hindi
14	Stretcher Bearer	5th pass	5th pass
15	Bearer	5th pass	5th pass
16	Cook Bearer	Middle pass	Middle pass
17	Bisti	5th pass	5th pass
18	Sweeper-cum-Chowkidar	Can read and write Hindi.	Can read and write Hindi

1	2	3	4
19	Dresser	Middle pass	Middle pass
20	Peon	Middle pass	Middle pass
21	Operation Theatre Attendant	Middle pass.	Middle pass
22	Mashalchi	5th pass.	5th pass
23	Ward Boy	Middle pass	Middle pass
24	Field Worker	Middle pass	Middle pass
25	Nursing Orderly	Middle pass	Middle pass
26	Water Carrier	5th pass	5th pass
27	Cook Mate	Middle pass	Middle pass
28	Peon-cum-Chowkidar	Middle pass	Middle pass
29	Helper	Middle pass	Middle pass
30	Nurse Boy	Middle pass	Middle pass

APPENDIX C

[*See* rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Head Cook	Director, Malaria	Minor Penalties:	Deputy Director, Malaria	Director, Malaria	Director General
2	Dhobi		(i) Warning with a copy in the personal file (Character role);			
3	Pressman					
4	Khalasi					
5	Cook		(ii) Censure;			
6	Lab Attendant		(iii) withholding of promotion			
7	Aaya		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set			
8	Mali					
9	Swasth Sahayak					
10	Cleaner					
11	Chowkidar					
12	Ward Servant					
13	Sweeper					
14	Stretcher Bearer					
15	Bearer					
16	Cook Bearer					
17	Bisti					
18	Sweeper-cum-Chowkidar					

1	3	3	4	5	6	
19	Dresser		up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
20	Peon					
21	Operation Theatre Attendant					
22	Masalchi		(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;			
23	Ward Boy					
24	Field Worker					
25	Nursing Orderly		Major Penalties :	Director, Malaria	Director General	Government
26	Water Carrier		(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;			
27	Cook Mate		(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing future increments of his pay ;			
28	Peon-cum-Chowkidar					
29	Helper					
30	Nurse Boy		(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with			

1	2	3	4	5	6
21	Operation Theater Attendant				
22	Masalchi				
23	Ward Boy				
24	Field Worker				
25	Nursing Orderly				
26	Water Carrier				
27	Cook Mate				
28	Peon-cum-Chowkidar				
29	Helper				
30	Nurse Boy				

VEENA EAGLETON,

Financial Commissioner & Secretary to Government Haryana, Health Department.

21695 CS(II) Govt. Press. U.T. Chd.